[2022] 11 एस. सी. आर 42

एस. मधुसूदन रेड्डी

वी.

वी. नारायण रेड्डी और अन्य

(सिविल अपील सं. 2022 का 5503-04)

18 अगस्त, 2022

[एन. वी. रमना, सीजेआई, कृष्णा मुरारी और

हिमा कोहली, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-S.114 आर/डब्ल्यू या एक्स. एल. वी. आई. आई.-समीक्षा अनुप्रयोग-रखरखाव-आयोजितः s.114 r/w या XLVII बनाता है

यह स्पष्ट है कि पुनरीक्षण आवेदन इस बात पर बनाए रखा जा सकता है कि (i) नए और महत्वपूर्ण मामलों या साक्ष्य का पता चलने के बाद, जो आवेदक की जानकारी में नहीं थे या जब डिक्री पारित की गई थी या आदेश दिया गया था, तब उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सका था; (ii) रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट किसी गलती या त्रुटि के कारण; या (iii) किसी अन्य पर्याप्त कारण के लिए त्रुटि रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट होनी चाहिए, न कि जिसकी खोज की जानी चाहिए-पुनरीक्षण की शक्ति को अपीलीय शक्ति के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए जो उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई त्रुटियों को सुधारने में सक्षम बनाता है-पुनरीक्षण के तहत, न्यायालय एक गलती को सुधार सकता है, लेकिन पहले लिए गए दृष्टिकोण को केवल इसलिए प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है क्योंकि इसकी संभावना है -

अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि के विरुद्ध त्रुटिपूर्ण निर्णय-उच्चतम न्यायालय द्वारा एक त्रुटिपूर्ण निर्णय को ठीक किया जा सकता है, हालांकि अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि को केवल समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके ही ठीक किया जा सकता है-वर्तमान मामले में, उत्तरदाताओं को पहले भी राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से कुछ भी नहीं रोका गया है, लेकिन उन्होंने उसी समर्पण कार्यवाही की केवल फोटोकॉपी दाखिल करने का फैसला किया है-किसी भी स्तर पर उत्तरदाताओं द्वारा नए दस्तावेजों की खोज के संबंध में याचिका नहीं ली गई थी जो उनके द्वारा उचित परिश्रम के बाद प्रस्तुत किए जा सकते थे-उत्तरदाताओं को राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने के कई अवसर उपलब्ध थे, पहला, जब उत्तरदाताओं ने अपीलीय प्राधिकरण के एकतरफा आदेश को चुनौती दी थी, दूसरा, जब अपील की गई थी।

अपील, तीसरा, जब प्रत्यर्थी ने पुनरीक्षण याचिका के दूसरे सेट को प्राथमिकता दी, चौथा, जब प्रत्यर्थी ने दो पुनरीक्षण याचिकाएं दायर कीं, और

अंत में, जब प्रतिवादी ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका को प्राथमिकता दी-इसके अलावा, द्वारा कोई कथन नहीं किया गया था

समीक्षा के दूसरे सेट में उत्तरदाताओं ने इस प्रभाव के लिए कि वे पहले प्रश्न में दस्तावेजों का पता नहीं लगा सके इसलिए, गैर

उचित स्तर पर प्रत्यर्थियों की ओर से प्रासंगिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करना निर्णय की समीक्षा की मांग करने के लिए एक आधार नहीं हो सकता है, जबकि उक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए उनके पास पांच अवसर उपलब्ध थे-अन्यथा भी, उसी आदेश के खिलाफ लगातार समीक्षा याचिकाओं का सहारा लेना अस्वीकार्य है, जब प्रतिवादी किसी भी परिस्थिति में न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने में बुरी तरह विफल रहे हैं जो उन्हें समीक्षा अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने का अधिकार देता है-इस प्रकार, समीक्षा याचिका के दूसरे सेट को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाना चाहिए।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. इस न्यायालय द्वारा कई न्यायिक निर्णयों में लगातार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय का अधिकार क्षेत्र

आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. के तहत समीक्षा। पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने की आड़ में, न्यायालय एक गलती को सुधार सकता है, लेकिन पहले लिए गए दृष्टिकोण को केवल इसलिए प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है क्योंकि किसी मामले में दो विचार लेने की संभावना है। एक निर्णय समीक्षा के लिए भी खुला हो सकता है जब निर्णय पारित होने के बाद साक्ष्य का कोई नया या महत्वपूर्ण मामला सामने आया हो। शर्त यह है कि ऐसा साक्ष्य समीक्षा की मांग करने वाले पक्ष की जानकारी में नहीं था या जब उचित परिश्रम करने के बावजूद आदेश दिया गया था तो उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। एक गलत निर्णय के बीच एक स्पष्ट अंतर है

अभिलेख के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि के विरुद्ध। एक गलत निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ठीक किया जा सकता है, हालांकि रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि को केवल समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके ही ठीक किया जा सकता है। एक और परिस्थिति का उल्लेख किया गया है

आदेश XLVII नियम 1 में किसी निर्णय की समीक्षा के लिए "किसी अन्य पर्याप्त कारण के लिए" के रूप में वर्णित किया गया है। उक्त वाक्यांश का अर्थ "आधार पर पर्याप्त कारण" के रूप में समझाया गया है नियम में निर्दिष्ट लोगों के लिए कम से कम अनुरूप "[पैरा 26] [65-जी-एच; 66-ए-डी] [2022] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने आदेश XLVII के तहत उपलब्ध तीन परिस्थितियों पर चर्चा करने के लिए बहुत मेहनत की है

अपील की अनुमति का निपटारा इस टिप्पणी के साथ किया गया कि यदि प्रतिवादी ऐसे दस्तावेज प्राप्त करने में सक्षम हैं, तो उनके लिए उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करने का अधिकार होगा। प्रासंगिक बात यह है कि इस न्यायालय ने तब भी उच्च न्यायालय द्वारा 09 जुलाई, 2013 के निर्णय के माध्यम से वापस किए गए गुण-दोष पर निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और न ही 20 फरवरी, 2014 के समीक्षा आदेश में हस्तक्षेप किया गया था। उन्हें फिर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता की आड़ में, प्रत्यर्थियों ने जो कुछ भी किया है, वह विषय भूमि के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना है और उन्हें समीक्षा याचिकाओं के दूसरे सेट के साथ संलग्न करना है। ऐसा तब होता है जब उक्त दस्तावेजों की फोटोकॉपी उनके द्वारा पहले दाखिल की गई थी। [पैरा 27] [66-ई-एच]

3. उत्तरदाताओं को इससे पहले भी राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से कुछ भी नहीं रोक सका, लेकिन उन्होंने संशोधन याचिकाओं के साथ उसी समर्पण कार्यवाही की केवल फोटोकॉपी दायर करने का फैसला किया, जिन्हें अंततः उच्च न्यायालय द्वारा 9 जुलाई, 2013 के सामान्य फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। घटनाओं का उपरोक्त कालक्रम महत्व प्राप्त करता है क्योंकि यह पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करता है कि उत्तरदाताओं के लिए कई अवसर उपलब्ध थे यदि वे वास्तव में तहसीलदार के समक्ष कथित समर्पण कार्यवाही से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करना चाहते थे, जिसका उन्होंने लाभ नहीं उठाया, क्योंकि वे सबसे अच्छी तरह से जानते थे। पहला अवसर तब आया जब प्रत्यर्थियों ने अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित 2 अप्रैल, 2005 के एकतरफा आदेश को चुनौती दी, जब उन्होंने दो नागरिक संशोधन याचिकाएं दायर कीं, जिनकी अनुमति दी गई और मामले को नए सिरे से विचार के लिए अपीलीय प्राधिकरण को वापस भेज दिया गया; दूसरा अवसर तब आया जब -

अपीलीय प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित अपीलों पर फिर से विचार किया और अपीलार्थी के हित में पूर्ववर्तियों के पक्ष में 23 मार्च, 2013 को एक आदेश पारित किया; तीसरा एस. मधुसूदन रेड्डी बनाम।

फरवरी, 2014; और पाँचवाँ अवसर तब उत्पन्न हुआ जब उत्तरदाताओं ने 9 जुलाई, 2013 के सामान्य निर्णय और आदेशों और उच्च न्यायालय द्वारा पारित 20 फरवरी, 2014 के समीक्षा आदेश से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिकाओं को प्राथमिकता दी। [पारस 28 और 31] [67-बी; 69-एफ-एच; 70-ए-बी] 4. प्रत्यर्थियों द्वारा इतने विलंबित स्तर पर की गई याचिका की पुष्टि करने के लिए शपथ पत्र पर कुछ भी नहीं कहा गया है कि

उनके द्वारा पुनर्विचार याचिकाओं के दूसरे सेट के साथ दायर किए जाने वाले दस्तावेज 9 जुलाई, 2013 के फैसले और आदेश के पारित होने के बाद सामने आए थे। उन्हें दी गई स्वतंत्रता की आड़ में, प्रत्यर्थियों ने स्पष्ट खामियों को भरने और समीक्षा कार्यवाही में सबूत पेश करने की कोशिश की है जो हमेशा उनकी शक्ति और अधिकार में था और होना चाहिए था बहुत पहले दिन की रोशनी देखी। वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि सिविल संशोधन याचिकाओं पर मूल रूप से बहस की गई थी

कई अन्य आधार, जो केवल राजस्व रिकॉर्ड तक ही सीमित नहीं थे, जिन्हें सभी को अयोग्य माना गया और खारिज कर दिया गया। इसलिए, हमें यह अभिनिर्धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि उत्तरदाताओं की ओर से उपयुक्त स्तर पर प्रासंगिक दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना 9 जुलाई, 2013 के निर्णय और आदेश की समीक्षा की मांग करने का आधार नहीं हो सकता है, विशेष रूप से जब उपरोक्त पैरा 31 में उल्लिखित पांच अवसर उन्हें उक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध थे, जो सभी एक-एक करके नष्ट कर दिए गए थे। [पैरा 34] [71-ई-जी]

5. अन्यथा भी, एक ही आदेश के खिलाफ क्रमिक समीक्षा याचिकाओं का सहारा लेना अधिक अस्वीकार्य है, जब प्रतिवादी इस न्यायालय का ध्यान किसी भी ऐसी परिस्थिति की ओर आकर्षित करने में बुरी तरह विफल रहे हैं जो उन्हें आह्वान करने का अधिकार देती है।

नियमों के दायरे में अधिकार क्षेत्र की समीक्षा करना। नियमों के तहत, उत्तरदाताओं को "वास्तविक" [2022] 11 एस प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी।

दस्तावेज़ लेकिन नए दस्तावेज़/साक्ष्य जो ज्ञान के भीतर नहीं थे और उचित परिश्रम के अभ्यास के बाद भी ऐसा नहीं हो सकता था, जो तालिका को उनके अग्रभाग में बदल सकता था और न ही रिकॉर्ड के चेहरे पर कोई त्रुटि स्पष्ट है।

उनके द्वारा बाहर निकलें। [पैरा 35] [72-ए-बी]

बब्बू उपनाम कल्याणदास और अन्य बनाम। मध्य प्रदेश राज्य (1979) 4 एस. सी. सी. 74; सकुरू बनाम। तानाजी (1985) 3 एस. सी. सी. 590 [1985] 2 पूरक। एस. सी. आर. 109; धारप्पा बनाम। बीजापुर कॉप। दुग्ध उत्पाद सोसायटी यूनियन लिमिटेड (2007) 9 एससीसी 109: [2007] 5 एस. सी. आर. 729 संदर्भित है।

कर्नल अवतार सिंह सेखों बनाम। भारत संघ और अन्य (1980) सप एस. सी. सी. 562; पारसन देवी और अन्य बनाम। सुमितरी देवी और अन्य (1997) 8 एस. सी. सी. 715: [1997] 4 पूरक। एससीआर 470; लिली थॉमस और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य (2000) 6 एस. सी. सी. 224: [2000] 3 एससीआर

1081 ; केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम। हाइटेक

इलेक्ट्रोथर्मिक्स एंड हाइड्रोपावर लिमिटेड और अन्य (2005) 6 एस. सी. सी. 651: [2005] 2 पूरक। एससीआर 517; जैन स्टूडियो लिमिटेड बनाम। शिन सैटेलाइट पब्लिक कंपनी लिमिटेड (2006) 5 एस. सी. सी. 501: [2006] 3 पूरक। एससीआर 409; कमलेश वर्मा बनाम। मायवती और अन्य (2013) 8 एस. सी. सी. 320: [2013] 11 एस. सी. आर. 25; अरिबम तुलेश्वर शर्मा बनाम। अरिबम पिशक शर्मा (1979) 4 एस. सी. सी. 389; पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम। कमल सेनगुप्ता और एक अन्य (2008) 8 एससीसी 612: [2008] 10 एस. सी. आर. 4; एस. नागराज और अन्य बनाम। कर्नाटक राज्य और एक अन्य (1993) 4 पूरक एस. सी. सी. 595:

[1993] 2 पूरक। एससीआर 1; पटेल नरशी थाकेरशी और अन्य बनाम। श्री प्रद्युम्न सिंहजी अर्जुन सिंहजी (1971)

3 एस. सी. सी. 844; एल. आर. और अन्य के माध्यम से राम साहू (मृत) बनाम। विनोद कुमार रावत और अन्य (2020) एससीसी ऑनलाइन एससी 896; छज्जू राम बनाम। नेकी राम और मोरन मार बासेलियोस कैथोलिकस और अन्न। वी. अधिकांश रेव. मार पॉलोस एथानासियस और अन्य-पर भरोसा किया।

मामला कानून संदर्भ

[2000] 3 एससीआर 1081

उस पर भरोसा करें

पैरा 4

[1985] 2 पूरक। एससीआर 109

उस पर भरोसा करें

पैरा 7

[2007] 5 एससीआर 729

संदर्भित किया गया है

पैरा 7 एस. मधुसूदन रेड्डी बनाम। वी. नारायण रेड्डी और

अन्य

[1997] 4 पूरक। एससीआर 470

उस पर भरोसा करें

पैरा 15

[2005] 2 पूरक। एससीआर 517

उस पर भरोसा करें

पैरा 17

[2006] 3 पूरक। एससीआर 409

उस पर भरोसा करें

पैरा 18

[2013] 11 एससीआर 25

उस पर भरोसा करें

पैरा 19

[2008] 10 एससीआर 4

उस पर भरोसा करें

पैरा 21

[1993] 2 पूरक। एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 23

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 5503

5504 2022 तक।

उच्च न्यायालय के 29.04.2022 दिनांकित निर्णय और आदेश से

हैदराबाद में तेलंगाना राज्य के लिए 2014 की आई. ए. संख्या 2 (2014 की रेव. सी. आर. एम. पी. No.6377) और 2013 की सी. आर. पी. संख्या 2786 में।

के साथ

2022 की सिविल अपील संख्या 5505।

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, वी. के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अच्युत रेड्डी,

सोमनाद्री गौड़ कटम, निधि राम शर्मा, गणेश भारद्वाज, सिराज मलिक, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , गिरिधर राव, श्रीधर पोटाराजू, अर्जुन

सिंह, सुश्री शिवानी तुशीर, रजत श्रीवास्तव, गाइचांगपोउ गंगमेई, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था हिमा कोहली, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. वर्तमान अपील एक सामान्य निर्णय के खिलाफ निर्देशित हैं।

और हैदराबाद में तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 29 अप्रैल, 2022 का आदेश, प्रत्यर्थी सं. द्वारा दायर समीक्षा याचिकाएँ। 1 इसमें 6 तक (2014 के संशोधन सी. आर. पी. एम. पी. संख्या 6377 में 2014 की आई. ए. संख्या 2 और 2013 की सिविल संशोधन याचिका No.2786 और संशोधन सी. आर. एम. पी. No.4997/2014 में 2014 की आई. ए. संख्या 1 और सिविल संशोधन याचिका No.2787/2013)। पुनरीक्षण याचिकाओं को अनुमति देने के परिणामस्वरूप, 9 जुलाई, 2013 का सामान्य निर्णय और आदेश पूर्ववर्ती पीठ द्वारा 23 मार्च, 2013 के सामान्य आदेश को बरकरार रखते हुए पारित किया गया। संयुक्त कलेक्टर, महबूबनगर द्वारा पारित एफ. 1/3/2005 और एफ. 1/4/2005 को अलग कर दिया गया है और [2022] 11 एस. सी. आर. के रूप में रखा गया है।

अपीलार्थी के पूर्वजों द्वारा संरक्षित किरायेदारी अधिकारों के समर्पण को स्वीकार करते हुए तहसीलदार, शादनगर द्वारा पारित 31 मार्च, 1967 के आदेशों की पुष्टि की गई है।

3. अपीलों का एक उतार-चढ़ाव वाला इतिहास है जो वर्ष 1967 का है। वर्तमान अपीलों पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं -

निम्नलिखित हैः 3.1 बुची रेड्डी के दोनों बेटे स्वर्गीय श्री चंद्र रेड्डी और स्वर्गीय श्री चेन्ना रेड्डी अलग-अलग किरायेदारों के मामले में संरक्षित किरायेदार थे।

कमदानम गाँव, शादनगर मंडल, महबूबनगर ज़िले के विभिन्न सर्वेक्षण नंबरों में स्थित भूमि के टुकड़े। रिकॉर्ड किया गया

संरक्षित किरायेदारों के जमींदार स्वर्गीय वेंकट अनंत रेड्डी थे, जो अपने और अपने भाई स्वर्गीय लक्ष्मी रेड्डी के संयुक्त परिवार के कर्ता थे। दोनों भाइयों के बीच भूमि के मौखिक विभाजन के आधार पर, विषय भूमि स्वर्गीय लक्ष्मी रेड्डी के पुत्र स्वर्गीय एल. हर्षवर्धन रेड्डी (प्रतिवादी संख्या 6) के हिस्से में आ गई। उल्लेखनीय है कि एल. हर्षवर्धन रेड्डी की मृत्यु समीक्षा याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान हो गई थी और एल. समीरा रेड्डी को उनके कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज किया गया था। प्रत्यर्थियों के अनुसार, स्वर्गीय श्री चंद्र रेड्डी, जो 57 एकड़ और 16 गुंटा की विषय भूमि के संबंध में एक संरक्षित किरायेदार थे, ने 6 अगस्त, 1966 को तहसीलदार को एक लिखित आवेदन जमा करने पर अपने संरक्षित किरायेदारी अधिकारों को सौंप दिया था। स्वर्गीय चेन्ना रेड्डी (राम रेड्डी, चंद्र रेड्डी और लक्ष्मी रेड्डी) के तीन कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा 98 एकड़ 18 गुंटा भूमि के संबंध में इसी तरह का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। प्रत्यर्थियों का दावा है कि उक्त आवेदन प्राप्त करने पर, तहसीलदार, शादनगर ने आवेदकों के बयान दर्ज किए और पक्षों की पहचान की पुष्टि करने के बाद, एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया और उसके बाद, ए. पी. में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने पर आत्मसमर्पण स्वीकार कर लिया। (तेलंगाना क्षेत्र) किरायेदारी और

3.2 यह भी उत्तरदाताओं का संस्करण है कि संरक्षित किरायेदारों ने स्वर्गीय वेंकट के पक्ष में अपने किरायेदारी अधिकारों को आत्मसमर्पण कर दिया था। अनंत रेड्डी इस समझ के अनुसार कि बाद वाला चंद्र रेड्डी और स्वर्गीय चेन्ना रेड्डी के बेटों के पक्ष में किरायेदारी न्यायाधिकरण द्वारा जारी 38-बी प्रमाणपत्र का विरोध नहीं करेगा।

इसके बाद 'विषय भूमि' के रूप में संदर्भित

2 संक्षेप में 'एक्ट' एस. मधुसूदन रेड्डी बनाम। वी. नारायण रेड्डी और अन्य [हिमा कोहली, जे.]

कमदानम गाँव में स्थित 85 एकड़ 23 गुंटा भूमि। दूसरे शब्दों में, संरक्षित किरायेदारों और मकान मालिक के बीच एक पारस्परिकता थी, जिसके आधार पर मकान मालिक ने चंद्र रेड्डी और स्वर्गीय चेन्ना रेड्डी के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा विषय भूमि के समर्पण के बदले में 85 एकड़ 23 गुंटा की भूमि के संबंध में अपने अधिकारों को त्याग दिया।

3.3 दूसरी ओर, अपीलार्थी, जो मूल किरायेदारों का कानूनी उत्तराधिकारी है, दावा करता है कि उसके पूर्वजों को राज्य से बेदखल कर दिया गया था।

वर्ष 1975 में जब वे अधिकारियों से 38-ई प्रमाणपत्र प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। केवल वर्ष 2001 में जब संरक्षित किरायेदारों के कानूनी उत्तराधिकारियों ने किरायेदारी के अंतिम रिकॉर्ड के लिए आवेदन किया था, तो क्या उन्हें पता चला कि संरक्षित किरायेदारों के नाम वर्ष 1967 में तहसीलदार द्वारा आयोजित कथित समर्पण कार्यवाही के आधार पर रद्द कर दिए गए थे। उक्त समर्पण कार्यवाही को चुनौती देते हुए, पूर्ववर्तियों ने-अपीलार्थी के संरक्षित किरायेदार होने के हित में, फरवरी, 2002 में संयुक्त कलेक्टर के समक्ष अपीलों को प्राथमिकता दी।

विलंब की क्षमा की मांग करने वाले आवेदन के साथ। महबूबनगर के संयुक्त कलेक्टर ने अपीलीय होने के नाते उक्त अपीलों को मंजूरी दी थी

(सी. आर. पी. सं. 4620/2005 और सी. आर. पी. सं. 4988/2005), जिनकी अनुमति दी गई थी, 19 सितंबर, 2006 के आदेश के अनुसार और मामलों को नए सिरे से निपटाने के लिए वापस भेज दिया गया। पुनः सुनवाई करते हुए, अपीलीय प्राधिकरण ने 23 मार्च, 2013 को एक आदेश पारित किया, जिसके तहत तहसीलदार, शादनगर द्वारा 31 मार्च, 1967 को पारित आदेश में उनके समर्पण को स्वीकार किया गया। अपीलार्थी के पूर्वजों द्वारा संरक्षित किरायेदारी अधिकार, अलग कर दिए गए थे

और 1967 से पहले के किरायेदारी के अंतिम अभिलेख में भूमि के संबंध में मूल प्रविष्टियों को बहाल किया गया।

पुनरीक्षण याचिकाएँ (सी. आर. पी. No.2786/2013 और सी. आर. पी. No.2787/2013), जिन्हें 09 जुलाई, 2013 के एक सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। उत्तरदाताओं द्वारा बाद में उपरोक्त निर्णय की समीक्षा के लिए दायर समीक्षा याचिकाओं (सिविल संशोधन याचिका संख्या में रेव. सी. आर. एम. पी. No.5443/2013 और सिविल संशोधन याचिका संख्या में रेव. सी. आर. एम. पी. संख्या 5432/2013) को भी खारिज कर दिया गया। 3 3 संक्षिप्त में 'उच्च न्यायालय' [2022] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

20 फरवरी, 2014 का आदेश। 9 जुलाई, 2013 के सामान्य निर्णय और आदेश और 20 फरवरी, 2014 के आदेश पर प्रतिवादी सं. 1 विशेष अनुमति याचिका (सी) सी. सी. संख्या 8209-8210/2014 के माध्यम से 6 तक जिनका निम्नलिखित आदेश पारित होने के साथ निपटारा किया गया था।

4 जुलाई, 2014 कोः

" देरी को माफ कर दिया गया।

याचिकाकर्ताओं का विद्वान वकील प्रस्तुत करता है कि वह यह दिखाने के लिए वास्तविक दस्तावेज दाखिल करने की स्थिति में होगा कि किरायेदारी का समर्पण था। यदि वह ऐसे दस्तावेज प्राप्त करने में सक्षम होगा, तो उसके लिए उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा दायर करने का अधिकार है। विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटान तदनुसार किया जाता है।

3.5 उपरोक्त आदेश के साथ सशस्त्र, उत्तरदाता संख्या 1 से 6 फिर से

उच्च न्यायालय से संपर्क किया और 9 जुलाई, 2013 के सामान्य आदेश और निर्णय की समीक्षा के लिए समीक्षा आवेदनों का दूसरा दौर दायर किया, जिन्हें विवादित आदेश द्वारा अनुमति दी गई है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने तहसीलदार, शादनगर द्वारा पारित 31 मार्च, 1967 के समर्पण आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें संरक्षित किरायेदारों (अपीलार्थियों के हित में पूर्ववर्तियों) के नाम किरायेदारी के अंतिम रिकॉर्ड से हटा दिए गए थे।

4. अपीलार्थी की ओर से बहस करते हुए, डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि

उत्तरदाता संख्या 1 से 6 बनाए रखने योग्य नहीं हैं क्योंकि वे सिविल प्रक्रिया संहिता, 19084 के आदेश XLVII नियम 1 में प्रदान की गई समीक्षा के लिए किसी भी शर्त को पूरा नहीं करते हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि समीक्षा याचिकाओं के दूसरे सेट में लिए गए आधार समीक्षा याचिकाओं के पहले सेट में लिए गए आधारों के समान थे और एक बार जब उच्च न्यायालय द्वारा 20 फरवरी, 2014 के आदेश के अनुसार समीक्षा याचिकाओं के पहले सेट को खारिज कर दिया गया था और उत्तरदाता संख्या 1 से 6 द्वारा कोई नया आधार नहीं लिया गया था, तो समीक्षा याचिकाओं के दूसरे सेट की अनुमति देने का कोई अवसर नहीं था। कि उत्तरदाता संख्या 1 से 6 ने यह याचिका नहीं ली कि उनके द्वारा बाद में दायर किए गए दस्तावेज उनकी जानकारी में नहीं थे जब उन्होंने आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष नागरिक पुनरीक्षण याचिकाएं और पुनरीक्षण याचिकाओं का पहला सेट दायर किया था। यह कहते हुए कि समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है और एक समीक्षा आवेदन पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब रिकॉर्ड के सामने कोई त्रुटि स्पष्ट हो, जिसे उत्तरदाता संख्या 1 से 6 तत्काल इंगित करने में विफल रहे हैं।

4 संक्षेप में सी. पी. सी. एस. मधुसूदन रेड्डी बनाम। वी. नारायण रेड्डी और अन्य [हिमा कोहली, जे.]

मामला, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय को इसे पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए था। यह तर्क दिया गया कि विवादित आदेश के आधार पर, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा दायर समीक्षा याचिकाओं को वस्तुतः स्वतंत्र अपीलों के रूप में माना है, जो अस्वीकार्य है। पुनर्विलोकन याचिका के सीमित दायरे और दायरे पर की गई उपरोक्त प्रस्तुतियों और क्रमिक पुनर्विलोकन याचिकाएं दायर करने पर रोक को मजबूत करने के लिए, बब्बू उपनाम कल्याणदास और अन्य मामले में इस न्यायालय के निर्णय v. मध्य प्रदेश राज्य 3 और लिली थॉमस और अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य का उल्लेख किया गया है।

5. अपीलार्थी की ओर से एक अन्य याचिका यह मांगी गई है कि समर्पण में संरक्षित किरायेदारों के पिता चंद्र रेड्डी और चेन्ना रेड्डी का नाम पापी रेड्डी बताया गया है। जबकि, उसका सही नाम बुची रेड्डी है जो दर्शाता है कि तहसीलदार द्वारा की गई समर्पण कार्यवाही थी

मनगढ़ंत और तथ्य यह है कि न तो अपीलार्थी, और न ही उसका

पूर्वजों ने कभी भी उत्तरदाताओं/उनके पूर्वजों/पूर्वजों के हित में किरायेदारी के अधिकारों को सौंप दिया था। यह तर्क दिया गया था कि यह तथ्य मकान मालिक द्वारा अधिकतम सीमा की कार्यवाही में की गई घोषणा से सामने आया है जिसमें उसने स्वीकार किया था कि 38-ई प्रमाणपत्र

विषय भूमि के संबंध में प्रदान किया गया था और किरायेदारों के कब्जे में था। यह स्पष्ट किया गया कि उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि संरक्षित किरायेदारों द्वारा भूमि मालिक के पक्ष में भूमि का समर्पण वास्तव में वर्ष 1967 में हुआ था, जैसा कि आरोप लगाया गया था, मकान मालिक के लिए बाद में आंध्र प्रदेश भूमि सुधार (कृषि जोत पर अधिकतम सीमा) अधिनियम, 19737 के तहत अपनी जोत के हिस्से के रूप में गणना के लिए इन भूमि की छूट का दावा करने का कोई अवसर नहीं था।

6. अपीलार्थी की ओर से की गई उपरोक्त प्रस्तुतियाँ

उत्तरदाताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी ने इसका जोरदार विरोध किया है। यह प्रस्तुत किया गया था कि आत्मसमर्पण की कार्यवाही वर्ष 1967 में अंतिम रूप ले चुकी थी और लगभग 35 वर्षों तक मौन रहने के बाद, संरक्षित के कानूनी उत्तराधिकारी किरायेदारों ने भूमि सीमा अधिनियम की धारा 90 (1) के तहत एक गलत धारणा वाली अपील दायर की थी। उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थियों को, जो विषय भूमि के खरीदार थे, उक्त कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया गया था और अपीलीय प्राधिकरण ने 2 अप्रैल को एक आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़े थे।

$ (1979) 4 एससीसी 74 6 (2000) 6 एससीसी 224 'संक्षेप में' भूमि सीमा अधिनियम '[2022] 11 एस. सी. आर.

2005 उक्त अपीलों को उनकी पीठ के पीछे अनुमति देना। उक्त एकतरफा आदेश से व्यथित होकर, जब प्रत्यर्थियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, तो मामलों को नए सिरे से देखने के लिए अपीलीय प्राधिकरण को वापस भेज दिया गया न्यायनिर्णयन। अपीलीय प्राधिकरण ने अपीलों को स्वीकार कर लिया, एक बार फिर उत्तरदाताओं को नई अपील दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया, जिन्हें 09 जुलाई, 2013 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया और उनकी समीक्षा याचिकाओं को भी 20 फरवरी, 2014 को खारिज कर दिया गया। उक्त बर्खास्तगी आदेशों के खिलाफ, प्रतिवादियों को इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उनके द्वारा अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए दायर याचिकाओं का निपटारा 4 जुलाई, 2014 के आदेश के माध्यम से किया गया था, जिसे इसके ऊपर पैरा 5 में निकाला गया है।

7. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति के आलोक में, प्रतिवादियों ने प्राप्त करने के बाद उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल संशोधन याचिकाओं में समीक्षा याचिकाएं दायर की थीं।

राजस्व का एक हिस्सा बनाने वाले प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां

अभिलेख। उक्त दस्तावेजों पर विचार करने के बाद ही विद्वान एकल न्यायाधीश ने ठोस और वैध कारणों से समीक्षा याचिकाओं को अनुमति दी जो किसी भी हस्तक्षेप के योग्य नहीं हैं। प्रत्यर्थियों की ओर से यह प्रचार किया गया है कि संरक्षित किरायेदार के कानूनी उत्तराधिकारियों को वर्ष 1967 से 2001 तक विषय भूमि के समर्पण के बारे में जानकारी थी और वे इस तथ्य से भी अवगत थे कि उनके पूर्वजों के नाम संरक्षित किरायेदारों के रजिस्टर में नहीं थे। वास्तविक स्थिति यह है कि अपीलार्थी के पूर्वजों के पास 1967 के बाद कभी भी विषय भूमि का कब्जा नहीं था। इसके बावजूद, उन्होंने 35 साल बीतने के बाद आत्मसमर्पण की कार्यवाही को चुनौती देते हुए अपीलीय प्राधिकरण का दरवाजा खटखटाया था। यह तर्क देते हुए कि उक्त अपीलें अत्यधिक विलंबित थीं और गुण-दोष में गए बिना केवल सीमा के आधार पर खारिज किए जाने के योग्य थीं, सकुरू बनाम में निर्णय। तानाजी 3 और धारप्पा बनाम। बीजापुर कॉप।

'मिल्क प्रोडक्ट्स सोसाइटीज यूनियन लिमिटेड' का हवाला दिया गया है। यह आग्रह किया गया है कि अपीलार्थी के पूर्वजों द्वारा की गई अपीलें विचारणीय नहीं थीं, क्योंकि उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों द्वारा दायर समीक्षा याचिकाओं को अनुमति देते हुए विवादित निर्णय पारित करते समय किस पहलू पर विचार किया गया है, यह स्पष्ट रूप से सीमित था।

8. जहां तक अपीलार्थी के हित में पूर्ववर्ती के गलत विवरण का सवाल है, यह प्रस्तुत किया गया था कि बुची रेड्डी को पापी रेड्डी के नाम से भी जाना जाता था।

गाँव में कौन सा तथ्य राजस्व अभिलेखों से परिलक्षित होता है, अर्थात्, 8 (1985) 3 एस. सी. सी. 590

9 (2007) 9 एस. सी. सी. 109 एस. मधुसूदन रेड्डी बनाम वी. नारायण रेड्डी और अन्य [हिमा कोहली, जे.]

गाँव का फ़ैसल पट्टी रिकॉर्ड, जैसा कि पटवारियों द्वारा दर्ज किया गया है। प्रतिवादियों के वकील ने भूमि सीमा कार्यवाही के तहत छूट का दावा करने वाले मकान मालिक के संदर्भ में दूसरे पक्ष द्वारा लिए गए आधार को इस आधार पर नकारने की भी मांग की कि भूमि सुधार न्यायाधिकरण ने छूट की ऐसी याचिका को स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया कि किरायेदारी अधिकारों के समर्पण ने वर्ष 1967 में ही अंतिमता प्राप्त कर ली थी और अपीलार्थी और उसके पूर्वजों ने समर्पण की तारीख से 35 साल बीतने के बाद सुलझे हुए मुद्दों को फिर से खोल दिया है क्योंकि शमशाबाद में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास स्थित विषय भूमि की कीमत बढ़ गई है और वह इसे भुनाना चाहता है।

एक ही।

9. इस न्यायालय ने विवादित फैसले और विवादित फैसले से पहले के आदेशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है, अभिलेखों का अध्ययन किया है और उनके द्वारा दिए गए तर्कों पर विचारपूर्वक विचार किया है। पक्षों के लिए विद्वान वकील। इन अपीलों में विचार के लिए एकमात्र बिंदु यह है कि क्या प्रत्यर्थियों/समीक्षा याचिकाकर्ताओं ने समीक्षा याचिकाओं के दूसरे सेट पर विचार करने के मानदंडों को पूरा करते हुए 23 मार्च, 2013 के निर्णय और आदेश की समीक्षा के लिए मामला बनाया था, जो समीक्षा याचिकाओं के पहले सेट में सफल होने में विफल रहे थे।

10. अपीलार्थी की ओर से मुख्य तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय को प्रत्यर्थियों द्वारा दायर क्रमिक समीक्षा याचिकाओं पर विचार नहीं करना चाहिए था, जब वे किसी भी नए तथ्य के उद्भव को प्रदर्शित नहीं कर सके थे या समीक्षा आवेदनों को अनुमति देने के लिए रिकॉर्ड के सामने किसी भी स्पष्ट त्रुटि को इंगित नहीं कर सके थे, कानून के प्रासंगिक प्रावधानों की जांच करके परीक्षण किया जाना चाहिए जो समीक्षा क्षेत्राधिकार को नियंत्रित करते हैं।

11. सी. पी. सी. की धारा 114 जो मूल प्रावधान है,

समीक्षा के दायरे से संबंधित है और निम्नलिखित रूप में बताता हैः

" समीक्षाः - जैसा कि ऊपर कहा गया है, कोई भी व्यक्ति जो खुद को मानता है

दुखीः (क)
एक डिक्री या आदेश द्वारा जिससे इस संहिता द्वारा अपील की अनुमति है, लेकिन जिससे कोई अपील नहीं की गई है;

(ख) एक डिक्री या आदेश द्वारा जिससे कोई अपील की अनुमति नहीं है

कोड; या (ग)
लघु कारणों के न्यायालय के निर्देश पर निर्णय द्वारा, उस न्यायालय को निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है जिसने डिक्री पारित की या आदेश दिया, और न्यायालय उस पर ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे। "

2] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. निर्णय के खिलाफ समीक्षा आवेदन दायर करने के लिए उपलब्ध आधार सी. पी. सी. के आदेश एक्स. एल. वी. आई. आई. में निम्नलिखित में निर्धारित किए गए हैं।

शब्दः

" 1. निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन-(1) कोई भी व्यक्ति स्वयं को दुखी समझते हुए -

(क) एक ऐसी डिक्री या आदेश द्वारा जिससे अपील की अनुमति दी जाती है, लेकिन जिससे कोई अपील नहीं की गई है, (ख) एक डिक्री या आदेश द्वारा जिससे कोई अपील की अनुमति नहीं है, या (ग) लघु कारणों के न्यायालय से एक संदर्भ पर निर्णय द्वारा, और कौन, नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज, जो उचित परिश्रम के अभ्यास के बाद उसकी जानकारी में नहीं थी या उस समय उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकी जब डिक्री पारित की गई थी या आदेश दिया गया था, या किसी गलती या त्रुटि के कारण जो रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट है, या किसी अन्य पर्याप्त कारण से, उसके खिलाफ पारित डिक्री या आदेश की समीक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखता है, निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है

न्यायालय जिसने डिक्री पारित की या आदेश दिया। (2) एक पक्ष जो किसी डिक्री या आदेश से अपील नहीं कर रहा है, वह किसी अन्य पक्ष द्वारा अपील के लंबित होने के बावजूद निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है, सिवाय इसके कि जहां ऐसी अपील का आधार आवेदक और अपीलार्थी के लिए समान है, या जब, प्रतिवादी होने के नाते, वह अपील न्यायालय में मामला पेश कर सकता है।

जिस पर वह समीक्षा के लिए आवेदन करता है।

1 [स्पष्टीकरण-तथ्य यह है कि कानून के किसी प्रश्न पर निर्णय, जिस पर न्यायालय का निर्णय आधारित है, किसी उच्च न्यायालय के बाद के निर्णय द्वारा उलट या संशोधित किया गया है।

अन्य मामला, ऐसे निर्णय की समीक्षा के लिए आधार नहीं होगा।] "

13. उपरोक्त प्रावधानों पर एक नज़र डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक समीक्षा आवेदन (i) नए और महत्वपूर्ण मामलों या साक्ष्य की खोज पर बनाए रखा जा सकता है, जो उचित परिश्रम करने के बाद, आवेदक की जानकारी में नहीं थे या जब डिक्री पारित की गई थी या आदेश दिया गया था, तब उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सका था; (ii) किसी गलती या त्रुटि के कारण जो रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट है; या (iii) किसी अन्य पर्याप्त कारण से।

14. कर्नल अवतार सिंह सेखों बनाम। भारत संघ और अन्य 1 ओ, इस न्यायालय ने कहा कि पहले के आदेश की समीक्षा नहीं की जा सकती है

10 1980 मान लीजिए एस. सी. सी. 562 एस. मधुसूदन रेड्डी बनाम। वी. नारायण रेड्डी और अन्य [हिमा कोहली, जे.]

जब तक कि अदालत का यह समाधान नहीं हो जाता है कि आदेश के सामने प्रकट होने वाली भौतिक त्रुटि के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होगी या इसकी दृढ़ता को कम किया जाएगा। की गई टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:

" 12. समीक्षा एक नियमित प्रक्रिया नहीं है। यहाँ हमने तय किया है कि

श्री कपिल को विस्तार से सुनें ताकि पार्टी की किसी भी भावना को दूर किया जा सके

बिना सुने चोट लगी। लेकिन हम अपने पहले की समीक्षा नहीं कर सकते।

आदेश जब तक कि उस भौतिक त्रुटि को संतुष्ट नहीं करता है, के चेहरे पर प्रकट होता है

आदेश, इसकी मजबूती को कम करता है या गर्भपात में परिणाम देता है

न्याय। सौ चंद्र कांटे और एक अन्य वी। शेख हबीब "

इस न्यायालय ने टिप्पणी की:

' फैसले की समीक्षा एक गंभीर और अनिच्छुक कदम है।

इसका सहारा लेना केवल तभी उचित है जब कोई स्पष्ट चूक या

पेटेंट की गलती या ऐसी गंभीर त्रुटि पहले भी हो चुकी है।

एक पूर्व आदेश की समीक्षा जिसका आधार है अंतिमता की सामान्य विशेषता "। "

(जोर दिया गया)

15. पार्सिओन देवी और अन्य बनाम। सुमितरी देवी और अन्य 1 2,

यह कहते हुए कि एक त्रुटि जो स्वयं स्पष्ट नहीं है और जिसे तर्क की प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जाना है, उसे न्यायालय के लिए समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया:

" 7. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि समीक्षा कार्यवाही सख्ती से होनी चाहिए।

आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. के दायरे और दायरे तक सीमित। में। थुंगभद्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सरकार. इस न्यायालय का A.P.¹3 13

राय दी:

'11 . लेकिन अब हम जिस बात को लेकर चिंतित हैं, वह यह है कि क्या

सितंबर 1959 के आदेश में बयान कि मामला

कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं है एक 'त्रुटि' है

रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट '। तथ्य यह है कि

इससे पहले के अवसर पर न्यायालय ने तथ्यों की एक समान स्थिति पर निर्णय दिया था
कि कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा

निर्णायक, क्योंकि पहले का आदेश ही गलत हो सकता है।

इसी तरह, भले ही बयान गलत था, यह नहीं होगा

1 1 (1975) 1 एस. सी. सी. 674

1 2 (1997) 8 एस. सी. सी 715 13 1964 एससीआर (5) 174 [2022] 11 एससीआर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मान लीजिए कि यह एक 'स्पष्ट त्रुटि' थी

रिकॉर्ड ', क्योंकि एक अंतर है जो वास्तविक है, हालांकि यह

गलत निर्णय और एक निर्णय जो हो सकता है 'स्पष्ट त्रुटि' द्वारा दूषित के रूप में चिह्नित। समीक्षा यह है कि

किसी भी तरह से छद्म रूप में एक अपील जिसके द्वारा

गलत निर्णय को फिर से सुना और सही किया जाता है, लेकिन यह झूठ है केवल पेटेंट त्रुटि के लिए। '

8. पुनः, मीरा भान्जा बनाम में। निर्मला कुमारी चौधरी 1 4

अनुमोदन के साथ अरिबम तुलेश्वर के एक अंश को उद्धृत करते हुए शर्मा बनाम। अरिबम पिशक शर्मा 1 5 इस न्यायालय ने एक बार फिर फैसला सुनाया

कि पुनरीक्षण कार्यवाहियाँ अपील के माध्यम से नहीं हैं और उन्हें करना होगा

आदेश 47 नियम 1 के दायरे और दायरे तक सख्ती से सीमित रहें।

रिकॉर्ड के चेहरे पर। एक त्रुटि जो स्वयं स्पष्ट नहीं है और तर्क की एक प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जाना है, शायद ही कर सकते हैं

रिकॉर्ड के चेहरे पर एक स्पष्ट त्रुटि कहा जाए

न्यायालय को समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए न्यायोचित ठहराना

आदेश 47 नियम 1 सीपीसी। इस अधिकारिता के तहत

आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. यह त्रुटिपूर्ण के लिए अनुज्ञेय नहीं है। 'फिर से सुनने और सुधारने' का निर्णय। एक समीक्षा याचिका,

यह याद रखना चाहिए कि इसका एक सीमित उद्देश्य है और यह नहीं हो सकता है। 'भेस में एक अपील' होने की अनुमति दी जाए।

[जोर दिया गया]

16. नियम के तहत निर्दिष्ट त्रुटि, पर स्पष्ट होनी चाहिए

अभिलेख की और न कि जिसकी खोज की जानी है। जबकिउच्चतम न्यायालय को सशक्त बनाने वाले अनुच्छेद 137 का दायरा और दायरा

अपने निर्णयों की समीक्षा करने और रूपांकनों पर चर्चा करने के क्रम में

लिली में सी. पी. सी. के आदेश XLVII नियम 1 के तहत अधिकार क्षेत्र देखें

नास (ऊपर), इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 54. अनुच्छेद 137 इस अदालत को अपने फैसलों की समीक्षा करने का अधिकार देता है।
संसद या किसी अन्य द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन
संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियम। सर्वोच्च

5) 1 एससीसी 170

9) 4 एस. सी. सी. 389 मधुसूदन रेड्डी बनाम। वी. नारायण रेड्डी और अन्य [हिमा कोहली, जे.]

संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए न्यायालय के नियमों में निर्धारित किया गया है कि दीवानी मामलों में, समीक्षा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में निर्दिष्ट किसी भी आधार पर होती है जो प्रदान करता हैः

" 1. निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन-(1) कोई भी व्यक्ति

स्वयं को दुखी समझते हुए - (क) एक डिक्री या आदेश द्वारा जिससे एक अपील की अनुमति है, लेकिन

जिसमें से कोई अपील नहीं की गई है,

(ख) एक डिक्री या आदेश द्वारा जिससे कोई अपील की अनुमति नहीं है, या (ग) लघु कारणों के न्यायालय से एक संदर्भ पर निर्णय द्वारा,

और जो नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज से, जो उचित परिश्रम करने के बाद उसकी जानकारी में नहीं था या उस समय उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका जब डिक्री पारित की गई थी या आदेश दिया गया था, या किसी गलती या त्रुटि के कारण जो रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट है, या किसी अन्य पर्याप्त कारण से, उसके खिलाफ पारित डिक्री या आदेश की समीक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उस न्यायालय को निर्णय की समीक्षा जिसने डिक्री पारित की या

आदेश दिया '।

उच्चतम न्यायालय के नियमों के आदेश एक्सएल नियम 1 के तहत आपराधिक मामलों में रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि के आधार के अलावा कोई समीक्षा नहीं होती है। उच्चतम न्यायालय के नियमों के आदेश एक्स. एल. नियम 5 में यह प्रावधान है कि समीक्षा के लिए आवेदन के निपटारे के बाद आगे किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

बात है।

XXX XXX XXX

इस विषय पर दो विचारों की संभावना समीक्षा का आधार नहीं है। एक बार पुनरीक्षण याचिका खारिज हो जाने के बाद पुनरीक्षण याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है। कानून का शासन बड़ी पीठों की बाध्यकारी प्रकृति के अभ्यास का पालन करना और समन्वित [2022] 11 एस. सी. आर. की पीठों द्वारा अलग-अलग विचार नहीं लेना।

समान शक्ति के अधिकार क्षेत्र का पालन और अभ्यास किया जाना चाहिए।

तथापि, यह न्यायालय अनुच्छेद के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए

136 या संविधान का अनुच्छेद 32 और इस बात से संतुष्ट होने पर कि

पहले के निर्णयों के परिणामस्वरूप मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया है।

किसी नागरिक के अधिकार या किसी अन्य क़ानून के तहत बनाए गए अधिकार,

पहले के फैसले के बावजूद एक अलग दृष्टिकोण लें।

XXX XXX XXX

58. अन्यथा भी आदेश एक्स. एल. के तहत परिकल्पित कोई आधार नहीं है।

सिविल संहिता के आदेश 47 के साथ पढ़े गए सर्वोच्च न्यायालय के नियम

पुनरीक्षण याचिका में प्रक्रिया का अनुरोध किया गया है या प्रचार किया गया है

समीक्षा के उद्देश्यों के लिए तर्कों के दौरान हमारे सामने

सरला मुद्गल मामले में निर्णय "। ऐसा नहीं है कि

निर्णय पारित होने का समय। हमारे सामने उठाई गई सभी दलीलें वास्तव में याचिकाकर्ताओं के लिए और उनकी ओर से संबोधित किया गया था

पीठ, जिसने उन दलीलों पर विचार करने के बाद, पारित किया

सरला मुद्गल 1 6 मामले में निर्णय। हमें भी कोई नहीं मिला है

रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट गलती या त्रुटि की आवश्यकता होती है

समीक्षा करें। नियम के तहत विचार की गई त्रुटि ऐसी होनी चाहिए

जो अभिलेख के सामने स्पष्ट है और त्रुटि नहीं है जिसे खोजना और खोजना होगा। यह एक त्रुटि होनी चाहिए

असावधानी। इस तरह की कोई त्रुटि नहीं बताई गई है

की समीक्षा की मांग करने वाले पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील

निर्णय। केवल तर्क दिए गए थे कि निर्णय

धारा 494 की व्याख्या करना कुछ नियमों का उल्लंघन है। मौलिक अधिकार। कोई अन्य पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया है

निर्णय की समीक्षा करना। शब्द "कोई भी-अन्य पर्याप्त"

कम से कम उनके अनुरूप आधारों पर पर्याप्त कारण नियम में निर्दिष्ट "जैसा कि छज्जू राम बनाम में आयोजित किया गया था। नेकी

राम 1 1 और मोरान मार बासेलियोस में इस अदालत द्वारा अनुमोदित

कैथोलिक। वी. सबसे रेव. मार पॉलोस एथानासियस 1 8. त्रुटि कार्यवाही के सामने स्पष्ट रूप से एक त्रुटि है जो है

5) 3 एस. सी. सी. 635, सरला मुद्गल, अध्यक्ष, कल्याणी और अन्य बनाम। भारत संघ और

1922 पीसी 112

5 एससीआर 520 मधुसूदन रेड्डी बनाम। वी. नारायण रेड्डी और अन्य [हिमा कोहली, जे.]

कानून के प्रावधानों की स्पष्ट अज्ञानता या उपेक्षा के आधार पर। टी. सी. बसप्पा बनाम टी. नागप्पा "इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसी त्रुटि एक त्रुटि है जो एक पेटेंट त्रुटि है न कि बस गलत निर्णय। हरि विष्णु कामथ बनाम। अहमद 20, यह आयोजित किया गया थाः

" यह आवश्यक है कि यह केवल एक त्रुटि से कुछ अधिक हो; यह ऐसा होना चाहिए जो अभिलेख के सामने प्रकट होना चाहिए। हालाँकि, इस मामले के संदर्भ में वास्तविक कठिनाई सिद्धांत के कथन में उतनी नहीं है जितनी कि किसी विशेष मामले के तथ्यों पर इसके अनुप्रयोग में है। कब एक त्रुटि, केवल त्रुटि नहीं रह जाती है और रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि बन जाती है? सीखी हुई सलाह

दोनों पक्ष किसी भी स्पष्ट नियम का सुझाव देने में असमर्थ थे जिसके द्वारा दो वर्गों की त्रुटियों के बीच की सीमा हो सकती है

सीमांकित।

प्रथम प्रत्यर्थी की ओर से श्री पाठक ने चागला, सी. जे. की कुछ टिप्पणियों के बल पर तर्क दिया-'बटुक के व्यास बनाम। सूरत बरो म्युनिसिपैलिटी '2 1, कि अभिलेख के सामने कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं कही जा सकती है यदि यह स्वयं-स्पष्ट नहीं थी और यदि इसके लिए एक परीक्षा या तर्क की आवश्यकता थी

इसे स्थापित करें। यह परीक्षण अधिकांश मामलों में निर्णय के लिए एक संतोषजनक आधार प्रदान कर सकता है। लेकिन ऐसे मामले भी होने चाहिए जिनमें यह परीक्षण भी टूट सकता है, क्योंकि न्यायिक राय भी अलग-अलग होती है, और एक न्यायाधीश द्वारा जिस त्रुटि को स्वयं-स्पष्ट माना जा सकता है, उस पर दूसरे द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है। तथ्य यह है कि अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि को सटीक या संपूर्ण रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी प्रकृति में ही अनिश्चितता का एक तत्व निहित है।

और इसे न्यायिक रूप से निर्धारित करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए

प्रत्येक मामले के तथ्य। इसलिए, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय के नियमों और आदेश 47 नियम 1 के आदेश XL के साथ पठित अनुच्छेद 137 के अर्थ के भीतर कोई मामला नहीं बनाया है।

सरला मुद्गल मामले में फैसले की समीक्षा के लिए सी. पी. सी. 1.

एस एस सी आर 250 1955 एस सी 233 1953 बम 191 [2022] 11 एस. सी. आर.

याचिका गलत धारणा वाली है और इसमें कोई सार नहीं है "।

(जोर दिया गया)

17. यह भी तय कानून है कि समीक्षा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में,

अदालत एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए साक्ष्य की फिर से सराहना नहीं कर सकती है, भले ही किसी मामले में दो विचार संभव हों। केरल राज्य विद्युत बोर्ड बनाम। हाइटेक इलेक्ट्रोथर्मिक्स एंड हाइड्रोपावर लिमिटेड और अन्य 22, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

भले ही यह संभव हो। बोर्ड के लिए सबसे अच्छा विद्वान सलाहकार हमें प्रभावित करने की कोशिश की कि पत्राचार का आदान-प्रदान किया गया

पक्षकारसभ एहि न्यायालय द्वारा पहुँचाओल गेल निष्कर्षक समर्थन नहि कयलनि।

एक समीक्षा याचिका में आगे बढ़े। साक्ष्य की सराहना अभिलेख पूरी तरह से अपीलीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है।

यदि प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन पर, न्यायालय

तथ्य के निष्कर्ष को दर्ज करता है और एक निष्कर्ष पर पहुँचता है, कि पुनर्विलोकन याचिका में निष्कर्ष पर तब तक हमला नहीं किया जा सकता जब तक कि

दिखाया गया है कि चेहरे पर एक त्रुटि स्पष्ट है

रिकॉर्ड से। पुनरीक्षण याचिकाकर्ता को एक पर बहस करने की अनुमति देना साक्ष्य के मूल्यांकन का प्रश्न होगा

एक समीक्षा याचिका को भेष बदलकर अपील में परिवर्तित करना। "

(जोर दिया गया)

18. एक समीक्षा याचिका दायर करने की आड़ में, एक पक्ष नहीं हो सकता है

निर्णय में आए निष्कर्षों को फिर से खोलने के लिए पुराने और खारिज किए गए तर्कों को दोहराने की अनुमति दी गई। पुनरीक्षण की शक्ति को अपीलीय शक्ति के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए जो उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई त्रुटियों को सुधारने में सक्षम बनाती है। इस बिंदु को जैन स्टूडियो लिमिटेड वी. शिन सैटेलाइट पब्लिक कंपनी में स्पष्ट किया गया है जहां इसे इस प्रकार आयोजित किया गया थाः

" 11. जहाँ तक योग्यता के आधार पर आवेदक की शिकायत का संबंध है,

प्रतिद्वंद्वी के लिए विद्वान वकील यह प्रस्तुत करने में सही है कि

22 (2005) 6 एस. सी. सी. 651 2,3 (2006) 5 एस. सी. सी. 501 एस. मधुसूदन रेड्डी बनाम।

वी. नारायण रेड्डी और अन्य [हिमा कोहली, जे.]

मुख्य मामले पर बहस करने के समय और नकार दिया गया था। एक बार इस तरह की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिए जाने के बाद, कोई समीक्षा याचिका नहीं होगी।

झूठ बोलना जो मूल विषय की पुनः सुनवाई को परिवर्तित कर देगा। यह है।

स्थापित कानून कि समीक्षा की शक्ति को भ्रमित नहीं किया जा सकता है

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सभी त्रुटियों को ठीक करें। यह है। किसी मूल विषय की पुनः सुनवाई नहीं करना। पुराने की पुनरावृत्ति और

अत्यधिक देखभाल, सावधानी और सावधानी और केवल असाधारण मामले।

12. जब इसमें आवेदक द्वारा मध्यस्थ नियुक्त करने की प्रार्थना की जाए।

उस समय किया गया था जब मध्यस्थता याचिका की सुनवाई हुई थी

और अस्वीकार कर दिया गया था, एक ही राहत एक अप्रत्यक्ष द्वारा नहीं मांगी जा सकती है पुनरीक्षण याचिका दायर करने की विधि। इस तरह की याचिका, मेरी राय में,

'दूसरी पारी' की प्रकृति में है जो अस्वीकार्य है

और अनुचित और प्रदान नहीं किया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

19. समीक्षा क्षेत्राधिकार पर निर्णयों की एक श्रृंखला पर चर्चा करने के बाद

कमलेश वर्मा बनाम। मायवती और अन्य 24, इस न्यायालय ने कहा कि समीक्षा कार्यवाही को आदेश XLVII नियम 1, सी. पी. सी. के दायरे और दायरे तक ही सीमित रखना होगा। जब तक समीक्षा आवेदन में उठाए जाने वाले मुद्दे पर पहले ही विचार किया जा चुका है और जवाब दिया जा चुका है, तब तक पक्षकार विवादित फैसले को केवल इसलिए चुनौती देने के हकदार नहीं हैं क्योंकि एक वैकल्पिक दृष्टिकोण संभव है। समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के सिद्धांतों को नीचे दिए गए शीर्षक वाले मामले में संक्षेप में संक्षेपित किया गया थाः

" 20. इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, समीक्षा के निम्नलिखित आधार

कानून द्वारा निर्धारित के रूप में बनाए रखने योग्य हैंः

20.1 . जब समीक्षा बनाए रखने योग्य होगीः

(i) नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज जो,

उचित परिश्रम के अभ्यास के बाद, ज्ञान के भीतर नहीं था

याचिकाकर्ता या उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका;

((ii) अभिलेख के सामने स्पष्ट गलती या त्रुटि;

((ग) कोई अन्य पर्याप्त कारण। "कोई अन्य पर्याप्त कारण" शब्दों की व्याख्या चज्जू राम बनाम नेकी 1 में की गई है, और इस न्यायालय द्वारा मोरान में अनुमोदित किया गया है।

मार बासेलियोस कैथोलिकस बनाम। सर्वाधिक रेव. मार पौलोस

एथानासियस और ओआरएस। 18 1 8 का अर्थ है "कम से कम नियम में निर्दिष्ट लोगों के अनुरूप आधारों पर पर्याप्त कारण"। भारत संघ बनाम में भी इन्हीं सिद्धांतों को दोहराया गया है। संदूर मैंगनीज

& आयरन ऑरेस लिमिटेड और Ors.25,।

((ii) अप्रासंगिक आयात की छोटी गलतियाँ। ((ग) पुनरीक्षण कार्यवाहियों की तुलना मूल कार्यवाहियों से नहीं की जा सकती।

मामले की सुनवाई।

न्याय की विफलता। (v) समीक्षा किसी भी तरह से छद्म रूप में एक अपील नहीं है जिसके तहत

गलत निर्णय को फिर से सुना जाता है और ठीक किया जाता है लेकिन यह केवल पेटेंट के लिए होता है त्रुटि।

(viii) अभिलेख पर साक्ष्य का मूल्यांकन पूरी तरह से अपीलीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है, इसे आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पुनरीक्षण याचिका में।

(ix) समीक्षा तब कायम नहीं रखी जा सकती जब मुख्य मामले पर बहस करते समय मांगी गई उसी राहत को नकार दिया गया हो।

20. अरिबम तुलेश्वर शर्मा बनाम। अरिबम पिशक शर्मा 1 5. न्यायालय न्यायिक आयुक्त द्वारा पारित एक आदेश की जांच कर रहा था, जो प्रतिवादियों द्वारा दायर एक समीक्षा आवेदन पर निर्णय लेते समय लैंट के पक्ष में गए पहले के एक फैसले की समीक्षा कर रहा था।

3) 8 एस. सी. सी. 337 एस. मधुसूदन रेड्डी बनाम। वी. नारायण रेड्डी और अन्य [हिमा कोहली, जे.]

जिसमें उन्होंने यह आधार लिया कि पूर्ववर्ती न्यायालय ने दो महत्वपूर्ण दस्तावेजों की अनदेखी की थी जो दर्शाते थे कि प्रत्यर्थियों के पास उन स्थलों का कब्जा था जिनके माध्यम से अपीलार्थी ने अपने आवास तक पहुँचने के लिए आसान अधिकार मांगे थे। उक्त अपील को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ स्वीकार किया गया थाः

" 3 ..... यह सच है जैसा कि इस न्यायालय ने शिवदेव सिंह और अन्य बनाम। पंजाब राज्य 2 के अनुच्छेद 226 में कुछ भी नहीं है।

उच्च न्यायालय को शक्ति का प्रयोग करने से रोकने के लिए संविधान

पुनर्विलोकन जो पूर्ण अधिकारिता के प्रत्येक न्यायालय में निहित है -

न्याय की विफलता को रोकने के लिए या गंभीर और गूदेदार को सही करने के लिए

उसके द्वारा की गई गलतियाँ। लेकिन, अभ्यास की निश्चित सीमाएँ हैं।

समीक्षा की शक्ति। समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज पर

जो, उचित परिश्रम के अभ्यास के बाद भीतर नहीं था समीक्षा की मांग करने वाले व्यक्ति का ज्ञान या

उसके द्वारा उस समय प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब आदेश दिया गया था

किया गया; इसका प्रयोग वहाँ किया जा सकता है जहाँ कुछ गलती या त्रुटि हो।

अभिलेख के चेहरे पर स्पष्ट पाया जाता है; यह भी हो सकता है

किसी भी अनुरूप आधार पर प्रयोग किया जाता है। लेकिन, यह नहीं हो सकता है

इस आधार पर प्रयोग किया गया कि निर्णय गलत था

गुणों पर। वह अपील न्यायालय का प्रांत होगा।

शक्ति जो एक अपीलीय न्यायालय को सभी को सुधारने में सक्षम बना सकती है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई त्रुटियों का तरीका।

(जोर दिया गया)

21. पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य में v. कमल सेनगुप्ता

और अन्य 27, इस न्यायालय ने समीक्षा याचिकाकर्ता की आवश्यकता पर जोर दिया जो एक नए मामले या साक्ष्य की खोज के आधार पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, यह प्रदर्शित करने के लिए कि यह उसके ज्ञान में नहीं था और इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

" 21. इस स्तर पर यह अवलोकन करना उचित है कि जहां एक समीक्षा है

नए मामले या साक्ष्य की खोज के आधार पर,

ऐसा मामला या साक्ष्य प्रासंगिक होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए

चरित्र कि यदि उसी का उत्पादन किया गया था, तो यह बदल सकता था

निर्णय। दूसरे शब्दों में, केवल नए की खोज या

26 (1979) 4 एस. सी. सी. 389 27 (2008) 8 एससीसी 612 [2022] 11 एस. सी. आर.

महत्वपूर्ण विषय या साक्ष्य पर्याप्त आधार नहीं है

पूर्व ऋण न्याय की समीक्षा करें। इतना ही नहीं, पार्टी मांग रही है

समीक्षा से यह भी पता चलता है कि ऐसी अतिरिक्त बात या

सबूत उसके ज्ञान में नहीं था और इसके बाद भी उचित परिश्रम का अभ्यास, उसी का उत्पादन नहीं किया जा सका

इससे पहले अदालत के समक्ष "।

(जोर दिया गया)

22. शीर्षक निर्णय में, शब्द 'गलती या त्रुटि स्पष्ट'

निम्नलिखित शब्दों में चर्चा की गईः

" 22. शब्द 'गलती या त्रुटि स्पष्ट' इसके बहुत

अर्थ एक त्रुटि को दर्शाता है जो स्वयं से स्पष्ट है मामले का रिकॉर्ड और विस्तृत विवरण की आवश्यकता नहीं है

इसके लिए लंबी बहस और तर्क की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, यह नहीं हो सकता है रिकॉर्ड के चेहरे पर एक स्पष्ट त्रुटि के रूप में माना जाए

आदेश 47 नियम 1 सी. पी. सी. या अधिनियम की धारा 22 (3) (एफ) का उद्देश्य।

इसे अलग तरीके से कहें तो कोई आदेश या निर्णय या निर्णय नहीं हो सकता है।

तथ्य या कानून के किसी बिंदु पर न्यायालय/न्यायाधिकरण। किसी भी मामले में, जबकि समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, संबंधित न्यायालय/न्यायाधिकरण

अपने निर्णय/निर्णय पर अपील में नहीं बैठ सकते।

(जोर दिया गया)

23. एस. नागराज और अन्य बनाम। कर्नाटक राज्य और

उसके 2 8, इस अदालत ने समझाया कि एक समीक्षा क्षेत्राधिकार कब हो सकता है

वैधानिक या अंतर्निहित के रूप में अभिनिर्धारित और इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गयाः

" 18. न्याय एक ऐसा गुण है जो सभी बाधाओं को पार करता है। न ही

प्रक्रिया के नियम और न ही कानून की तकनीकीताएँ इसके मार्ग में बाधा बन सकती हैं।

निरंतरता के लिए टकटकी निर्णय का पालन किया जाता है लेकिन इसमें उतना लचीला नहीं होता है प्रशासनिक कानून जैसा कि सार्वजनिक कानून में है। यहां तक कि कानून भी झुक जाता है

न्याय। द्वारा प्रयोग की जाने वाली रिट अधिकारिता की पूरी अवधारणा

उच्च न्यायालयों की स्थापना समानता और निष्पक्षता पर की जाती है। अगर अदालत

पता चलता है कि आदेश एक गलती के तहत पारित किया गया था और यह होगा

5 उदाहरण के लिए (4) एस. सी. सी. 595 एस. मधुसूदन रेड्डी बनाम। वी. नारायण रेड्डी और अन्य [हिमा कोहली, जे.]

अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया है लेकिन गलत के लिए

ऐसी धारणा जो वास्तव में मौजूद नहीं थी और इसका अपराध

सिद्धांत को त्रुटि को सुधारने से रोका जाए। गलती। किसी आदेश को वापस लेने के वैध कारण के रूप में स्वीकार किया जाता है। अंतर

गलती की प्रकृति और सुधार के दायरे में निहित है,

यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह तथ्य का है या कानून का। लेकिन जिस जड़ से

शक्ति का प्रवाह अन्याय से बचने की चिंता है। यह भी है वैधानिक या अंतर्निहित। बाद वाला उपलब्ध है जहाँ

गलती अदालत की है।

(जोर दिया गया)

24. पटेल नरशी थाकेरी और अन्य बनाम। श्री प्रद्युम्न

सिंहजी अर्जुनसिंहजी ", इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 4 ... . यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि समीक्षा करने की शक्ति एक नहीं है

अंतर्निहित शक्ति। इसे कानून द्वारा भी प्रदान किया जाना चाहिए।

विशेष रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा। कोई प्रावधान नहीं

अधिनियम को ध्यान में लाया गया था जिससे यह एकत्र किया जा सकता था कि

सरकार के पास अपने आदेश की समीक्षा करने की शक्ति थी। अगर

सरकार के पास अपने आदेश की समीक्षा करने का कोई अधिकार नहीं था, यह स्पष्ट है

कि उसके प्रतिनिधि उसके आदेश की समीक्षा नहीं कर सकते थे। ....

(जोर दिया गया)

25. राम साहू (मृत) में एल. आर. और अन्य के माध्यम से बनाम। विनोद

कुमार रावत और अन्य 3 0, पिछले निर्णयों का हवाला देते हुए और आदेश XLVII नियम 1 के साथ पठित धारा 114 के दायरे और दायरे पर विस्तार से बताते हुए, इस न्यायालय ने कहा है कि धारा 114 सी. पी. सी. समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने के लिए कोई शर्त नहीं रखती है और न ही यह धारा

न्यायालय को किसी निर्णय की समीक्षा करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करने से रोकती है। तथापि, न्यायालय द्वारा आदेश की समीक्षा केवल आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. में निर्धारित आधारों पर की जा सकती है। उक्त शक्ति का प्रयोग एक अंतर्निहित शक्ति के रूप में नहीं किया जा सकता है और न ही समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने की आड़ में अपीलीय शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

26. जैसा कि कानून की उपरोक्त व्याख्या से देखा जा सकता है कि

इस न्यायालय द्वारा कई न्यायिक निर्णयों में लगातार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय की समीक्षा का अधिकार क्षेत्र, अपील के समान नहीं है। यदि कोई गलती या स्पष्ट त्रुटि है तो निर्णय की समीक्षा की जा सकती है।

29 (1971) 3 एस. सी. सी. 844

30 (2020) एससीसी ऑनलाइन एससी 896 [2022] 11 एस. सी. आर.

अभिलेख के सामने, लेकिन एक त्रुटि जिसे तर्क की प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जाना है, को न्यायालय के लिए आदेश XLVII नियम 1 सी. पी. सी. के तहत समीक्षा की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख के सामने एक स्पष्ट त्रुटि के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करने की आड़ में,

न्यायालय गलती को सुधार सकता है लेकिन पहले लिए गए दृष्टिकोण को केवल इसलिए प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है क्योंकि किसी मामले में दो विचार लेने की संभावना है। एक निर्णय समीक्षा के लिए भी खुला हो सकता है जब निर्णय पारित होने के बाद साक्ष्य का कोई नया या महत्वपूर्ण मामला सामने आया हो, इस शर्त के अधीन कि ऐसा साक्ष्य समीक्षा की मांग करने वाले पक्ष की जानकारी में नहीं था या जब आदेश दिया गया था तो उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। एक स्पष्ट त्रुटि के मुकाबले एक गलत निर्णय के बीच एक स्पष्ट अंतर है

रिकॉर्ड के चेहरे पर। एक गलत निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ठीक किया जा सकता है, हालांकि रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि को केवल समीक्षा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करके ही ठीक किया जा सकता है। निर्णय की समीक्षा के लिए आदेश XLVII नियम 1 में संदर्भित एक और परिस्थिति "किसी अन्य पर्याप्त कारण के लिए" के रूप में वर्णित किया गया है। उक्त वाक्यांश का अर्थ "आधार पर पर्याप्त कारण, कम से कम नियम में निर्दिष्ट लोगों के अनुरूप" के रूप में समझाया गया है (संदर्भः छज्जू राम बनाम। नेकी राम 1 7 और मोरान मार बासेलियोस कैथोलिकस और अन्न। वी. अधिकांश रेव. मार पॉलोस एथानासियस और अन्य 1 8)।

27. ऊपर स्पष्ट की गई कानूनी स्थिति के आलोक में, आइए अब हम अपीलार्थी द्वारा उठाई गई शिकायत की जांच करें। विद्वान एकल न्यायाधीश

उच्च न्यायालय ने समीक्षा आवेदन बनाए रखने के लिए आदेश XLVII CPC के तहत उपलब्ध तीन परिस्थितियों पर चर्चा करने के लिए बहुत मेहनत की है

और यह मत व्यक्त किया कि तत्काल मामले में, प्रत्यर्थियों ने इस न्यायालय के समक्ष कहा था कि उनके पास विषय भूमि के संबंध में संरक्षित किरायेदारी अधिकारों के समर्पण से संबंधित वास्तविक दस्तावेज हैं और उक्त प्रस्तुति को ध्यान में रखते हुए, विशेष अनुमति के लिए याचिकाएं हैं।

अपील का निपटारा इस टिप्पणी के साथ किया गया कि यदि प्रतिवादी ऐसे दस्तावेज प्राप्त करने में सक्षम हैं, तो उनके लिए उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करने का अधिकार होगा। प्रासंगिक बात यह है कि इस न्यायालय ने तब भी उच्च न्यायालय द्वारा 09 जुलाई, 2013 के निर्णय के माध्यम से वापस किए गए गुण-दोष पर निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और न ही 20 फरवरी, 2014 के समीक्षा आदेश में हस्तक्षेप किया गया था। उच्च न्यायालय में फिर से जाने की स्वतंत्रता की आड़ में, प्रत्यर्थियों ने जो कुछ भी किया है, वह विषय भूमि के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना है और उन्हें दूसरे एस. मधुसूदन रेड्डी बनाम के साथ संलग्न करना है।

वी. नारायण रेड्डी और अन्य [हिमा कोहली, जे.]

पुनरीक्षण याचिकाओं का समूह। यह तब है जब उक्त दस्तावेजों की फोटोकॉपी उनके द्वारा पहले दाखिल की गई थी।

28. उत्तरदाताओं को इससे पहले भी राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से कुछ भी नहीं रोक सका, लेकिन उन्होंने संशोधन याचिकाओं के साथ उसी समर्पण कार्यवाही की केवल फोटोकॉपी दायर करने का फैसला किया, जिन्हें अंततः उच्च न्यायालय द्वारा 9 जुलाई, 2013 के सामान्य फैसले के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों के इस कथन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि संरक्षित किरायेदारों ने आत्मसमर्पण कर दिया था

विषय मकान मालिक के पक्ष में आता है। वर्ष 1967 में तहसीलदार के समक्ष किरायेदारों द्वारा संरक्षित अधिकारों की कथित समर्पण कार्यवाही के संबंध में निर्णय में चर्चा तैयार संदर्भ के लिए नीचे दी गई है।

" 2. ..... संरक्षित किरायेदारों के कानूनी प्रतिनिधि वर्ष 1967 में तत्कालीन तहसीलदार के समक्ष कथित समर्पण कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि उन्हें कभी भी भूमि से बेदखल किया गया था, ताकि वे संबंधित अधिकारियों के समक्ष अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आवश्यक कदम उठा सकें। वर्ष 1967 में बताई गई पिछली कार्यवाही के बारे में जानने के बाद, वे वर्तमान अपीलों के साथ संयुक्त कलेक्टर के पास पहुंचे। संयुक्त कलेक्टर के समक्ष अपील दायर करने से पहले किसी भी समय उन्हें वर्ष 1967 की कार्यवाही के बारे में जानकारी देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है।

3. हालांकि एक संरक्षित किरायेदार और दूसरे संरक्षित किरायेदार के तीन कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा संरक्षित किरायेदारी अधिकारों का कथित आत्मसमर्पण वर्ष 1967 में बताया गया था, लेकिन संयुक्त कलेक्टर द्वारा विवादित आदेश में यह बताया गया है कि मूल भूमि धारक/मकान मालिक ने आंध्र प्रदेश भूमि सुधार (कृषि जोत पर अधिकतम सीमा) अधिनियम, 1973 के तहत अपनी हिस्सेदारी में इन भूमि की गणना करने से छूट मांगी थी। यदि वास्तव में संरक्षित किरायेदारों द्वारा मकान मालिक के पक्ष में भूमि का कथित समर्पण वर्ष 1967 में किया गया था, तो मकान मालिक ने दावा नहीं किया होगा। इन भूमि के लिए अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत उसकी हिस्सेदारी में गणना से छूट। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भूमि सुधार न्यायाधिकरण ने मकान मालिक द्वारा इस आधार पर दी गई छूट की याचिका को खारिज कर दिया कि उसने इन भूमि के लिए संरक्षित किरायेदारों के पक्ष में अधिनियम की धारा 38-ई के तहत प्रमाण पत्र देने का उचित सबूत पेश नहीं किया। इसलिए, इन भूमि की गणना [2022] 11 एस. सी. आर. में की गई थी।

मकान मालिक का स्वामित्व इस आधार पर नहीं कि संरक्षित किरायेदार अपने संरक्षित किरायेदारी अधिकारों को समर्पण कर रहे हैं, बल्कि इस आधार पर कि भूमि धारक छूट के लिए प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकता है। इसलिए, संयुक्त कलेक्टर ठीक ही इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वर्ष 1967 में संरक्षित किरायेदारों द्वारा भूमि के समर्पण से संबंधित फाइल को भूमि के बाद उसी समय के आधार पर हेरफेर किया गया था।

सीलिंग केस को लैंड सीलिंग ट्रिब्यूनल द्वारा अंतिम रूप दिया गया था।

अधिनियम की धारा 19 के तहत संरक्षित किरायेदारी अधिकारों के समर्पण का तरीका न केवल पूर्व दिनांकित था, बल्कि तैयार भी किया गया था। इसलिए, इस पुनरीक्षण याचिका में संयुक्त कलेक्टर से अलग निष्कर्ष पर आने का कोई कारण नहीं है। द्वारा पारित सामान्य आदेश संयुक्त कलेक्टर उचित, कानूनी और नियमित होता है।

29. द्वारा दायर समीक्षा कार्यवाही के पहले दौर में

9 जुलाई, 2013 के आदेश और निर्णय की समीक्षा की मांग करने के लिए उत्तरदाताओं ने अन्य बातों के अलावा, सीमा की याचिका, अपीलीय प्राधिकरण की ओर से कथित त्रुटि को उठाने की मांग की थी।

मामले का निर्णय लेने के लिए राजस्व मंडल अधिकारी के कार्यालय से अभिलेख और भूमि सुधार न्यायाधिकरण द्वारा संचालित अधिकतम सीमा की कार्यवाही के कथित गलत निर्माण, जिनमें से सभी पर पहले तर्क दिया गया था और जिन्हें उच्च न्यायालय का समर्थन नहीं मिला था। लेकिन, किसी भी स्तर पर एक याचिका नहीं थी

उत्तरदाताओं द्वारा नए दस्तावेजों की खोज के संबंध में लिया गया जो उनके द्वारा देय कार्य करने के बाद प्रस्तुत नहीं किए जा सकते थे।

वी. नारायण रेड्डी और अन्य [हिमा कोहली, जे.]

9 जुलाई, 2013 के आदेश से पहले अध्यवसाय पारित किया गया। जब एकल न्यायाधीश द्वारा 20 फरवरी, 2014 के एक विस्तृत आदेश द्वारा समीक्षा याचिकाओं के पहले समूह को खारिज कर दिया गया था, तो पैरा 2 में विशेष रूप से यह देखा गया था कि उत्तरदाताओं ने यह दलील नहीं दी थी कि कोई भी नया तथ्य न्यायालय के विचार के लिए सामने आया था। वास्तव में, उक्त आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि उत्तरदाताओं ने केवल इस पर फिर से बहस करने की कोशिश की

9 जुलाई, 2013 के फैसले के अनुसार, वे बिंदु जो उनके द्वारा पहले ही लिए जा चुके थे और जिन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था।

30. दिनांकित क्रम में वर्णित घटनाओं का क्रम

20 फरवरी, 2014 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित समीक्षा आवेदनों के पहले समूह को खारिज करते हुए इस तथ्य को सामने लाया गया है कि प्रतिवादियों ने नागरिक संशोधन याचिका दायर करके दो बार उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। पहले दौर में, अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित 2 अप्रैल, 2005 के आदेश के खिलाफ उत्तरदाताओं द्वारा दायर दो संशोधन याचिकाओं (2005 की सी. आर. पी. संख्या 4620 और 4988) को उच्च न्यायालय द्वारा 19 सितंबर, 2006 के आदेश के माध्यम से इस आधार पर अनुमति दी गई थी कि संरक्षित किरायेदारों के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा शुरू की गई कार्यवाही अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष निर्विरोध चली गई थी। तदनुसार, अपीलों को नए सिरे से विचार के लिए अपीलीय प्राधिकरण को वापस भेज दिया गया। रिमांड पर, उक्त अपीलों का निपटारा अपीलीय प्राधिकरण द्वारा 23 मार्च, 2013 के आदेश के अनुसार गुण-दोष के आधार पर किया गया था। उक्त निर्णय पर सवाल उठाने वाले उत्तरदाताओं द्वारा दायर संशोधन याचिकाओं के दूसरे सेट को 9 जुलाई, 2013 के सामान्य आदेश द्वारा गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था, जिसकी समीक्षा को 20 फरवरी, 2014 के आदेश के माध्यम से भी खारिज कर दिया गया था।

31. घटनाओं का उपरोक्त कालक्रम जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, महत्व प्राप्त करता है।

यह पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करने के लिए कि उत्तरदाताओं के लिए कई अवसर उपलब्ध थे यदि वे वास्तव में तहसीलदार के समक्ष कथित समर्पण कार्यवाही से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करना चाहते थे, जिसका उन्होंने लाभ नहीं उठाया, क्योंकि वे सबसे अच्छी तरह से जानते थे। पहला अवसर तब आया जब प्रत्यर्थियों ने अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित 2 अप्रैल, 2005 के एकतरफा आदेश को चुनौती दी, जब उन्होंने दो नागरिक संशोधन याचिकाएं दायर कीं, जिनकी अनुमति दी गई और मामले को नए सिरे से अपील प्राधिकरण को वापस भेज दिया गया।

विचार; दूसरा अवसर तब आया जब अपीलीय प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित अपीलों पर फिर से विचार किया और पूर्ववर्तियों के हित में 23 मार्च, 2013 को एक आदेश पारित किया। अपीलार्थी का; तीसरा अवसर तब उत्पन्न हुआ जब उत्तरदाताओं ने आदेश [2022] 11 एस. सी. आर. को लागू करने वाली सिविल संशोधन याचिकाओं के दूसरे सेट को प्राथमिकता दी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिनांक 23 मार्च, 2013 जो आम निर्णय में समाप्त हुआ और 9 जुलाई, 2013 का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया; चौथा अवसर तब आया जब उत्तरदाताओं ने मांग करने के लिए दो समीक्षा आवेदन दायर किए

9 जुलाई, 2013 के सामान्य निर्णय और आदेश की समीक्षा, जिसे 20 फरवरी, 2014 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था; और पांचवां अवसर तब उत्पन्न हुआ जब उत्तरदाताओं ने विशेष याचिकाओं को प्राथमिकता दी

9 जुलाई, 2013 के सामान्य निर्णय और आदेशों और उच्च न्यायालय द्वारा पारित 20 फरवरी, 2014 के समीक्षा आदेश से व्यथित होने के कारण इस न्यायालय के समक्ष अपील करने की अनुमति।

32. उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय ने प्रत्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया था, लेकिन प्रस्तुत किए गए निवेदन को ध्यान में रखते हुए।

उनकी ओर से कि वे यह दिखाने के लिए दस्तावेज दाखिल करने की स्थिति में होंगे कि संरक्षित किरायेदारों और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों की ओर से किरायेदारी का समर्पण किया गया था, यह उत्तरदाताओं के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करने के लिए खुला छोड़ दिया गया था। इसके बाद ही उत्तरदाता उन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां, ज़ेरॉक्स प्रतियां दाखिल करने के लिए उठे

जिनका उनके द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिकाओं के दूसरे दौर में पहले ही दायर किया जा चुका था। यह स्थिति होने के कारण, प्रत्यर्थियों को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि विचाराधीन दस्तावेज उनकी जानकारी में नहीं थे या उच्च न्यायालय द्वारा 09 जुलाई, 2013 को सामान्य निर्णय और आदेश पारित करने से पहले राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकी थीं। दाखिल करने के समय

पुनर्विलोकन याचिकाओं के दूसरे समूह में, प्रत्यर्थियों ने एक याचिका दायर की कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने समर्पण कार्यवाही के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रासंगिक रिकॉर्ड पर विचार नहीं किया और गलती से यह निष्कर्ष निकाला कि वर्ष 1967 में संरक्षित किरायेदारों द्वारा भूमि के समर्पण से संबंधित फाइल को भूमि सीमा न्यायाधिकरण द्वारा भूमि सीमा को अंतिम रूप देने के बाद उसी तारीख से हेरफेर किया गया था। तथापि, प्रत्यर्थियों के इस गंजे दावे के अलावा कि दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया था, जिसे विवादित आदेश में दोहराया गया है, उच्च न्यायालय के पहले के फैसले के अवलोकन से ऐसा कोई सुझाव नहीं मिलता है कि इस पर विचार नहीं किया गया है। बल्कि, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष उपलब्ध अभिलेखों पर विचार किया, जिसमें पक्षों द्वारा स्वीकार किए गए राजस्व अभिलेखों की प्रतियां शामिल थीं और कुछ टिप्पणियां पारित कीं।

33. समीक्षा याचिकाओं के दूसरे समूह में किए गए कथनों के अवलोकन से पता चलता है कि खोज के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है

दाखिल किए जाने वाले दस्तावेजों के रूप में नई सामग्री।

जब एस. मधुसूदन रेड्डी बनाम। वी. नारायण रेड्डी और अन्य [हिमा कोहली, जे.]

यदि स्वयं उत्तरदाताओं का मामला है कि संबंधित दस्तावेज राजस्व अभिलेखों में उपलब्ध थे और उन्होंने दूसरी संशोधन कार्यवाही के दौरान पहले ही इसकी ज़ेरॉक्स प्रतियां दाखिल कर दी थीं, तो उन्हें यह कहते हुए शायद ही सुना जा सकता है कि उक्त दस्तावेज उनके लिए अज्ञात थे और 9 जुलाई, 2013 के सामान्य निर्णय और आदेश को पारित करने से पहले विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष पेश करने के लिए अनुपलब्ध थे। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं को समीक्षा याचिकाओं का दूसरा सेट दायर करने के लिए कोई नई सामग्री नहीं मिली थी। आदेश XLVII नियम 1 में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सी. पी. सी., एक पक्ष के लिए यह स्थापित करना अनिवार्य है कि नई सामग्री या साक्ष्य की खोज न तो उसके ज्ञान में थी जब डिक्री पारित की गई थी, और न ही पक्ष आदेश पारित करने से पहले उचित परिश्रम करने के बाद ऐसे दस्तावेजों/साक्ष्य पर अपना हाथ रख सकता था। प्रासंगिक दस्तावेजों तक पहुँच प्राप्त करने के लिए उचित परिश्रम करने के निर्णायक प्रमाण के बारे में क्या कहा जाए, समीक्षा याचिकाओं के दूसरे सेट में उत्तरदाताओं द्वारा इस आशय का कोई दावा नहीं किया गया है कि वे पहले विचाराधीन दस्तावेजों का पता नहीं लगा सके थे या कि उन्होंने 9 जुलाई, 2013 के सामान्य आदेश के पारित होने से पहले इसकी प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए थे, लेकिन कुछ ठोस और वैध कारणों से ऐसा नहीं कर सके।

34. दूसरे शब्दों में, प्रत्यर्थियों द्वारा इतने विलंबित स्तर पर की गई याचिका को प्रमाणित करने के लिए हलफनामे में कुछ भी नहीं कहा गया है कि उनके द्वारा पुनर्विचार याचिकाओं के दूसरे सेट के साथ दायर किए जाने की मांग करने वाले दस्तावेज 9 जुलाई, 2013 के फैसले और आदेश के पारित होने के बाद सामने आए थे। उन्हें दी गई स्वतंत्रता की आड़ में, उत्तरदाताओं ने स्पष्ट खामियों को भरने और समीक्षा कार्यवाही में सबूत पेश करने की कोशिश की है जो हमेशा उनकी शक्ति और अधिकार में था और जिसे बहुत पहले दिन का प्रकाश देखना चाहिए था। वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि सिविल संशोधन याचिकाओं पर मूल रूप से कई अन्य आधारों पर तर्क दिया गया था, न कि केवल राजस्व रिकॉर्ड तक सीमित, जिन्हें सभी को अयोग्य माना गया और खारिज कर दिया गया। इसलिए, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि प्रासंगिक का गैर-उत्पादन

उचित स्तर पर उत्तरदाताओं की ओर से दस्तावेज नहीं हो सकते हैं

9 जुलाई, 2013 के निर्णय और आदेश की समीक्षा की मांग करने के लिए एक आधार हो, विशेष रूप से, जब उपरोक्त पैरा 31 में उल्लिखित पांच अवसर, उक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए उनके लिए उपलब्ध थे, जो सभी एक-एक करके नष्ट हो गए थे। 35. हमारी राय में, अन्यथा भी, उसी आदेश के खिलाफ लगातार समीक्षा याचिकाओं का सहारा लेना अधिक अस्वीकार्य है, जब [2022] 11 एस. सी. आर.

प्रतिवादी इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने में बुरी तरह विफल रहे हैं

कोई भी परिस्थिति जो उन्हें समीक्षा अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने का अधिकार देती है नियमों के दायरे में। नियमों के तहत, उत्तरदाताओं को "वास्तविक" दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि नए दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी

यह उनके ज्ञान में नहीं था और उचित परिश्रम के अभ्यास के बाद भी ऐसा नहीं हो सकता था, जो तालिका को उनके पक्ष में बदल सकता था। न ही उनके द्वारा अभिलेख में कोई स्पष्ट त्रुटि सामने लाई गई है।

36. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा दृढ़ विचार है कि पुनर्विचार याचिकाओं का दूसरा सेट किसी और से कम नहीं था।

न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग और उच्च न्यायालय द्वारा मामले के गुण-दोष में गए बिना इसे विचारणीय नहीं मानते हुए खारिज कर दिया जाना चाहिए था। परिणामस्वरूप, वर्तमान अपीलों की अनुमति दी जाती है। 29 अप्रैल, 2022 के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया गया है और सीआरपी No.2786/2013 और 2013 के सीआरपी संख्या 2787 में पारित 9 जुलाई, 2013 के सामान्य फैसले और आदेश को बहाल कर दिया गया है।

37. दलों को अपना खर्च खुद वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान

(शेवाली मोंगा, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)